


125

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि 2 पत्र। प्रेरणक
सरकार उप। अज्ञात/अज्ञात पत्रों में भी आदीवा
न्युत का बिना अतिवृत्त कर अज्ञातनामा किया गया
अज्ञात भाग ही शर्तनामा अज्ञात आदेश 01 दिनांक
10 अप्रैल 1915। सीपीसी पेश किया गया
जो अज्ञातनामा बिना पत्रावली 30/10/25
को पेश हो


30/10/25

125

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि प्रेरणक सरकार
उप। पत्रावली वास्तु शर्तनामा अज्ञात आदेश। फिल
10 अप्रैल 1915। सीपीसी को पेश देहु दिनांक
19/11/25 को पेश हो


30/10/25

पत्रावली पेश हुई। अज्ञात स्थानीय बार एसोसिएशन
का कार्य स्थगन किया हुआ है। पत्रावली साविक
आदेश दिनांक 22/11/25 को पेश हो।


अज्ञात सिडर

21/25

22/12/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि वक्ता उप। प्रेरणक
सरकार उप। अज्ञातों की ओर से उच्च शर्तनामा
पत्र आदेश 1 नियम 20 जा. शिवाजी का जवाब पेश
की। वादी की शर्तनामा पत्र का जवाब पेश करने हेतु
न्यायालय में अज्ञात अज्ञात दिया जात ही पत्रावली
वादी शर्तनामा पत्र के जवाब वास्तु दिनांक 7/11/26
को पेश हो


22/12/25

7/11/26

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आदि वक्ता
अज्ञात/अज्ञात प्रेरणक सरकार उप। अज्ञात
आदि वक्ता उप। वादी एवं वादी आदि वक्ता
में विद्वानुसार तीन बार आवधि लगाई गई
लगातार -



7/11/26
सहायक कलेक्टर
बीलवाड़ा

दिनांक

हकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

7/1/26

कोई उपस्थित नहीं आया समग्र 5-2019 में
 लुकाई वारी एवं वारी प्राधिकरण को न्याय
 रित्त में पुनः एकबार आवाज लगाई गई कोई
 उपस्थित नहीं आया वारी एवं वारी प्राधिकरण
 के उपस्थित नहीं आये हैं वारी द्वारा उपलब्ध
 वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
 अधिनियम उत्तराखण्ड नवलदान चारण जनाम
 राजस्थान सरकार अदम हावरी अदम परबी
 में जारी किया गया है निर्णय करे इजलास
 अंतर्गत वारी पत्रवली फौजल शुमार होकर
 ग्राहिलवातर हो और नक्का में कम हो।


 7/1/26

सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा